

## भाग—III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जनवरी, 2017

संख्या का0आ0 13/पं0अ0 17/1887/धा0 5/2017.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ049/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:—

## संशोधन

हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ049/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 में,—

- (i) दो बार आने वाले, "तहसील शाहबाद" शब्दों के स्थान पर, "उप-तहसील बाबैन" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
- (ii) "शाहबाद उप-मण्डल" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "थानेसर उप-मण्डल" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

केशनी आनन्द अरोड़ा,  
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तियुक्त, हरियाणा सरकार,  
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT**

**Notification**

The 24th January, 2017

**No. S.O.13/P.A.17/1887/S.5/2017.**— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, notification No. S.O.49/P.A.17/1887/S.5/2016, dated 04th November, 2016, namely :-

**Amendment**

In the Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, notification No. S.O.49/P.A.17/1887/S.5/2016, dated the 4th November, 2016, :-

- (i) for the words "tahsil Shahbad" occurring twice, the words and sign "sub-tahsil Babain" shall be substituted; and
- (ii) for the words and sign "Shahbad Sub-Division", the words and sign "Thanesar Sub-Division" shall be substituted.

**KESHNI ANAND ARORA,**  
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,  
Revenue and Disaster Management Department.